# माता वैष्णो देवी धाम में चांदी घोटाला, कोर्ट ने जांच रिकॉर्ड तलब किया

## 550 करोड़ के चांदी चढ़ावे पर उठे सवाल

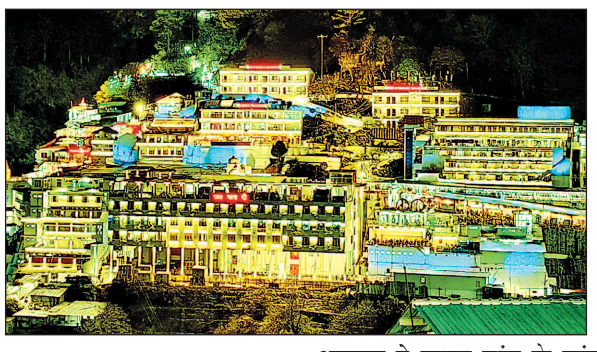

**05 से 6 प्रतिशत ही शुद्ध चांदी**

**29 को होगी अहम सुनवाई**

**जम्मू 14 जुलाई. जम्मू-कश्मीर स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई कथित 550 करोड़ रुपये मूल्य की चांदी को लेकर उठे विवाद में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.**

जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मनहास की अदालत ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को मामले से संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से 29 जुलाई 2026 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. यह मामला अधिवक्ता दीपक शर्मा द्वारा दायर याचिका के आधार पर अदालत पहुंचा. याचिका में पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम ब्रांच) और आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत का हवाला देते हुए कथित मिलावट, अदला-बदली और संभावित गबन की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

9 मई 2026 को दी गई शिकायत में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गबन, रिकॉर्ड में हेरफेर तथा चांदी के चढ़ावे में कथित रूप से कैडमियम युक्त सामग्री के उपयोग या खरीद के आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का रुख करना पड़ा. अदालत के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायत को पहले क्राइम मुख्यालय, श्रीनगर भेजा गया और स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए जोनल पुलिस मुख्यालय, जम्मू भेज दिया गया.

# 5,300 लोगों का जत्था हुआ रवाना

**जम्मू, 14 जुलाई.** श्री अमरनाथ यात्रा के 5,300 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था मंगलवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर के दो बेस कैंपों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ. 5,335 तीर्थयात्री आज सुबह 232 हल्के और भारी वाहनों के काफिले में बेस कैंप से रवाना हुए. इस जत्थे में 1,736 तीर्थयात्री बालटाल बेस कैंप और 3,599 तीर्थयात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए.


**HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA**
**Raipur Naka, Durg, Chhattisgarh - 491001**

**Recruiment Notice**

**Advt. No. 19/Estt./Gen.Adm./2026 Durg,**
**Date : 14/07/2026**

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg is in search of suitable candidates for the appointment to the following posts:-

| S.N. | Name of Post |
|---|---|
| 1. | University Engineer (U.E.) - 01 (Purely on Temporary basis) |

Aspirant candidates may submit their application in prescribed format with self attested mandatory documents to the **Registrar, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Raipur Naka, Durg (C.G.)** by speed post not later than **05/08/2026**. The general instructions, application form or for more information, the candidate may visit www.durguniversity.ac.in, Contact at E-mail–registrar@durguniversity.ac.in

Note: Amendment/corrigendum (if any) will be uploaded on University's official website : www.durguniversity.ac.in

**By Order**

**48453/4** **Registrar**



**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना**

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33837185 & 66101855 | संपत्ति के बदले ऋण | 04-Jul-2026 | 2,46,311.77/- |
| **उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम:** 1. बापू सिंह सोलंकी 2. विष्णु कुंवर सोलंकी | | | | |
| **संपत्ति का पता:** वह पूरी प्रॉपर्टी/घर जिसका कुल क्षेत्रफल 414 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 496, पीएच नंबर 36, गाँव: खरवाकला, तहसील: रतलाम, तालुका और ज़िला: रतलाम, मध्य प्रदेश-457114 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री नारायणसिंह जी का घर, पश्चिम: श्री तूफानसिंह जी का घर, उत्तर: सड़क, दक्षिण: श्री तूफानसिंह जी का घर। | | | | |
| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 2 | 102406928 | संपत्ति के बदले ऋण | 17.04.2026 | 8,75,130.60/- |
| **उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम:** 1. भारत कश्यप 2. कमला बाई कश्यप | | | | |
| **संपत्ति का पता:** यह पूरी प्रॉपर्टी, फ़्लैट नंबर 302, जिसका सुपर बिल्ट-अप एरिया 460 वर्ग फीट या 42.75 वर्ग मीटर है, "शिवंश अपार्टमेंट", स्लाइस-5, पार्ट-4, प्लॉट नंबर 438, स्कीम नंबर 97, दत्ता नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 में स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: दूसरी जमीन, दक्षिण: फ़्लैट नंबर 301, पूर्व: खुली छत (टेरेस), पश्चिम: सड़क। | | | | |

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है ) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 ( 13 ) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

**एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

**दिनांक : 15.07.2026**
**स्थान : मध्यप्रदेश**


## पेज एक का शेष

### टेक-होम राशन की जिम्मेदारी आजीविका मिशन से वापस ली

4 वर्ष में तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक का घाटा होने का दावा किया जा रहा था. इसके चलते स्व सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को बोनस सहित अन्य स्वत्वों का लाभ नहीं मिल रहा था. लिहाजा मिशन को काम देने का फायदा न तो बच्चों को मिल रहा था और न ही हितग्राहियों को, ऐसे में मिशन से काम वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 245 करोड़ 45 लाख रूपये की मंजूरी : कैबिनेट ने राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रूपये की स्वीकृति दी है. राजगढ़ जिले में निर्मित यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है. वहीं रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है. निर्णय अनुसार पंजाब नेशनल बैंक से ली गई साख सीमा में 19 जुलाई से 18 जनवरी 2027 तक 6 माह की अवधि के लिए शेष राशि 396 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति और भारतीय स्टेट बैंक से ली गई साख सीमा में 3 जुलाई 2026 से 2 जुलाई 2027 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए शेष राशि 1,191 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जायेगी.

### शाह की 40 मिनट तक योगी से बातचीत

मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली दौरे के बाद कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. माना जा रहा है कि बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, संगठन से जुड़े विषयों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, इन मुद्दों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सीएम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की संभावना जताई गई है. इस मुलाकात को भी संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले के बीच हुई शाह-योगी मुलाकात पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं. मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सरकार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है. वहीं, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है.


**SMFG Grihashakti** Nayi Asha. Naya Vishwas.

**एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**
**कॉर्पोरेट कार्यालय:** 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
**पंजीकृत कार्यालय:** कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

**अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]**

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्द्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "एसएमएचएफसी" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

| स. क्रं. | उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन | सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति) | डिमांड नोटिस दिनांक और राशि | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लैन :- 601607210213847 1. अभिषेक चौहान 2. संगीत चौहान 3. लीना चौहान | वह पूरी प्रॉपर्टी जो हाउस नंबर 628, वेस्ट पार्ट, शिव सिटी, गांव निहालपुर मुंडी, तहसील और ज़िला इंदौर (म.प्र.) में स्थित है और जिसका एरिया 756 स्क्वेयर फीट है। इस प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - बचा हुआ प्लॉट, पश्चिम - प्लॉट नंबर 667, उत्तर - प्लॉट नंबर 629, दक्षिण - कॉलोनी रोड। | 22.04.2026 रू. 21,00,808.31 (इक्कीस लाख आठ सौ आठ और इकतीस पैसे मात्र) 09.04.2026 तक | 13.07.2026 |
| 1 | लैन:- 601739212278818 एवं 601739512320936 1. भगवान सिंह तेवा 2. श्यामू बाई | इस प्रॉपर्टी में मकान/प्लॉट शामिल है, जो गाँव हनोती, तहसील और ज़िला शाजापुर (म.प्र.) में स्थित है (पीएच नंबर 63/163)। गाइडलाइन के अनुसार, प्रॉपर्टी का कुल एरिया 1692 वर्ग फीट है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में ओंकार सिंह (पिता प्रहलाद सिंह) की प्रॉपर्टी, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता और दक्षिण में नाथू सिंह का मकान। | 13.04.2026 15,56,018.18 (पंद्रह लाख छप्पन हजार अठारह और अठारह पैसे मात्र) 09.04.2026 तक | 11.07.2026 |

**स्थान: इन्दौर, शाजापुर, मध्य प्रदेश**
**दिनांक: 11.07.2026/ 13.07.2026**

**एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,**
**एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।**



**M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**
**(Govt. of M.P. Undertaking / Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)**
**REGIONAL OFFICE, INDORE**
**101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore 452001 (M.P.)**
**Phone : (0) 0731-2970611, 2974363, 2971311, Fax No. : 0731-2972629, CIN : U51102MP1977SGC001392**
**Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in**
**No. MPIDC/ROIND/TECH/25/10331** **Date : 14.07.2026**

**NOTICE INVITING TENDER**

Online tenders are invited on behalf of the Executive Director, MPIDC RO Indore, from registered contractors in any State/Central Government/any Government undertaking or reputed firms for the following work. The Tenders would be made available on the e-portal **https://www.mptenders.gov.in.**

| Name of Work | Probable amount of contract (in Lakh) | EMD (in Rs.) | Cost of Tender form (in Rs.) | Last date of Submission of Tender |
|---|---|---|---|---|
| Operation and Maintenance of Elevators Lifts (12 Nos.) for Building 1 & 2 system installed at Crystal IT Park, Indore SEZ for the period of 36 months round the clock i/c Sunday and Holidays | 95.08 | 95080/- | 11800/- | 17.08.2026 |
| Operation and Maintenance of DG sets (5x1500KVA) installed at Crystal IT Park, Indore SEZ for the period of 36 months round the clock i/c Sunday and Holidays | 66.47 | 66470/- | 11800/- | 17.08.2026 |

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portal.
M.P. Madhyam/126875/2026 **EXECUTIVE ENGINEER, (Electrical)**



**Kolhapur Municipal Corporation, Kolhapur**
**City Water Supply & Drainage Division**

**e-Tender Notice No. 41 for 2026-27**

Kolhapur Municipal Corporation invites e-Tender for the work of Rejuvenation of Lake Rankala UNDER AMRUT 2.0 MISSION Comprehensive in-situ Ecological Rejuvenation of Lake Rankala through Nature based solution through' resurrection of native ecology' for 'restoration of ecosystem services' UNDER AMRUT 2.0 of Kolhapur Municipal Corporation Tal. Karveer Dist. Kolhapur in the State of Maharashtra,

valued at Rs.09.99 Cr. Please visit website www.mahatenders.gov.in for detailed information.

Date: /07/2026 **Sd/-**
**Add.commissioner**
**Kolhapur Municipal Corporation**
**Kolhapur**



**कार्यालय कार्यपालन यंत्री,**
**लोक निर्माण विभाग वि. / यां संभाग, (ओल्ड पलासिया) इंदौर**
E-mail ID:- eepwdelecind@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना कमांक:- 21 / व.ले.लि./वि./ या. / 2026-27 इन्दौर दिनांक 10.07.26

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

| स. क. | टेण्डर नं. | कार्य का नाम | जिला | ठेके की अनुमानित राशि (लाख में) | अमानत राशि (रू.) | निविदा प्रपत्र की राशि | ठेकेदार की श्रेणी | कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2026_PWDRB_ 520598 | वि./या. उपसंभाग खरगोन के अंतर्गत मण्डलेश्वर/ बड़वाह अनुभाग के आवासीय/गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर/मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य। | खरगोन | 20.00 | 40,000/- | 2,000/- | केन्दीयकृत पी.डब्ल्यू.डी. विद्युत पंजीकरण | 12 माह वर्षाकाल सहित |
| 2 | 2026_PWDRB_ 520599 | वि./या. उपसंभाग बड़वानी के अंतर्गत बड़वानी अनुभाग के आवासीय/गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस. आर/मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य। | बड़वानी | 20.00 | 40,000/- | 2,000/- | तदैव | 12 माह वर्षाकाल सहित |
| 3 | 2026_PWDRB_ 520600 | वि./या. उपसंभाग झाबुआ के अंतर्गत जोबट अनुभाग के आवासीय/गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस. आर/मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य। | झाबुआ | 10.00 | 20,000/- | 2,000/- | तदैव | 12 माह वर्षाकाल सहित |
| | | कुल राशि रू. | | रू.50.00 | | | | |

1. उपरोक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन पेमेंट करने के पश्चात बिड डॉक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।
2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1. बिड डॉक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण 2. अरनेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3. चेक लिस्ट, 4. एफिडेविट आदि अन्य विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की तिथि दिनांक 11.07.26 सुबह 10:30 से दिनांक 20.07.26 सांय 17:30 बजे तक निर्धारित है ।
4. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पेपर पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाईट पर ही किया जावेगा ।

**कार्यपालन यंत्री**
**लो.नि.वि. वि/यां संभाग, इंदौर**

**G15644/26**



**शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**
**पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएन: U65900DL2020PLC366027**

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना**

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है) से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

| ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम | सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण |
|---|---|
| 1. श्री विनोद परिहार पुत्र श्री खेमराज (उधारकर्ता/बंधककर्ता) मकान नंबर 50, वार्ड नंबर 02, मंदिर के पास, हरिजन मोहल्ला ग्राम सूरी, लोध, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895, 2. श्रीमती रितु भानभी पत्नी श्री विनोद परिहार (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता), मकान नंबर 50, वार्ड नंबर 02, मंदिर के पास, हरिजन मोहल्ला ग्राम सूरी, लोध, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895, इसके अलावा: 126, ग्राम कोचरिया खेड़ी, तहसील सीतामऊ, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458990, 3. श्रीमती कंकू बाई पत्नी श्री खेमराज (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 50, वार्ड नंबर 02, मंदिर के पास, हरिजन मोहल्ला ग्राम सूरी, लोध, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895, 4. श्री रमेश परिहार पुत्र श्री खेमराज (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 50, वार्ड नंबर 02, मंदिर के पास, हरिजन मोहल्ला ग्राम सूरी, लोध, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895 | प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज: कुल 500 वर्ग फुट (46.45 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली रिहायशी प्रॉपर्टी; पुराना नंबर 24/44, नया नंबर 99, वार्ड नंबर 02, भवन पंजी नंबर 126; जो ग्राम सूरी, ग्राम पंचायत सूरी, तहसील और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश (पिन कोड 458895) में स्थित है। यह प्रॉपर्टी श्री विनोद परिहार (पिता श्री खेमराज) और श्रीमती रितु भानभी (पत्नी श्री विनोद परिहार) के नाम पर है। सीमाएँ: पूर्व में गोविंद राम जी का घर, पश्चिम में: सड़क (चौक) |

ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि | लोन अकाउंट नंबर 103041559225 डिमांड नोटिस की तारीख: 14.07.2026
बकाया राशि: रू. 8,38,000/- (आठ लाख अड़तीस हजार मात्र) 13.07.2026 तक
एनपीए दिनांक : 04.07.2026

**दिनांक: 14.07.2026, स्थान: नोएडा** **अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**



**सार्वजनिक विधिक सूचना**
**(परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत)**

प्रति,
**श्रीमती लाड़ कुंवर बाई, पत्नी श्री भगवान सिंह गुर्जर,**
निवासी-ग्राम भीलखेड़ी, पोस्ट देन्दला, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.)

मेरे पक्षकार शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शाजापुर (म.प्र.) के निर्देशानुसार आपको इस दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपने मेरे पक्षकार बैंक से शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण खाता क्रमांक 553714035 के माध्यम से बकरी पालन व्यवसाय हेतु 73,60,000/- (अक्षरी तिहत्तर लाख साठ हजार रुपये मात्र) का ऋण प्राप्त किया था। कुछ समय तक आपके द्वारा उक्त ऋण खाते में किस्तों का भुगतान किया गया, किन्तु बाद में आपने ऋण खाते में देय राशि का भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे ऋण राशि बकाया हो गई।

ऋण की आंशिक अदायगी हेतु आपके द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड, शाखा शाजापुर के अपने खाते का स्वहस्ताक्षरित चेक क्रमांक 0138027, राशि 8,00,00/- (अक्षरी आठ लाख रुपये मात्र) मेरे पक्षकार बैंक को प्रदान किया गया था। उक्त चेक को मेरे पक्षकार बैंक द्वारा दिनांक 20/06/2026 को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया, किन्तु आपके द्वारा खाता बंद कर दिए जाने के कारण उक्त चेक अनादृत होकर बिना भुगतान के रिटर्न मेमो सहित वापस प्राप्त हुआ। फलस्वरूप मेरे पक्षकार को उक्त चेक की राशि प्राप्त नहीं हो सकी तथा आपके विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही किए जाने का आधार उत्पन्न हो गया है।

अतः आपको इस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर मेरे पक्षकार बैंक को चेक में वर्णित राशि 8,00,000/- (आठ लाख रुपये मात्र) का भुगतान कर विधिवत रसीद प्राप्त कर लें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्त होने पर मेरे पक्षकार आपके विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेंगे, जिसके समस्त न्यायालयीन व्यय, अधिवक्ता शुल्क एवं अन्य दायित्वों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

द्वारा **अभिभाषक विवेक शर्मा,** एडवोकेट
60, महात्मा गांधी मार्ग, सोमवाटिया बाजार, शाजापुर (म.प्र.) - 465001
मोबा. नं. 94250-34818

स्थान : शाजापुर
दिनांक : 23/07/2026



**Chola** Enter a better life

**चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड**
**कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, टी. एन.**

**ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से बिक्री)**

**अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत जारी की गई।**

आम जनता और खास तौर पर कॉलम (A) में बताए गए उधारकर्ता(ओं) लेने वालों और गारंटर(ओं) देने वालों को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई अचल संपत्ति जो कॉलम (C) में बताई गई है और जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज किया गया था, और जिसका कब्जा कॉलम (D) में बताए अनुसार हाउसिंग के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे सुरक्षित लेनदार 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' द्वारा "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है:- उधार लेने वाले / गिरवी रखने वाले/ कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात हों या अज्ञात), निष्पादक, प्रशासक , उत्तराधिकारी और असाइनी को यह सूचना दी जाती है - संबंधित उधार लेने वाले / गिरवी रखने वाले (जो अब जीवित नहीं हैं) के मामले में, जैसा कि कॉलम (A) में बताया गया है - सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 की धारा 8(6) के तहत। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' की वेबसाइट https://www. cholamandalam.com और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक को देखें।

| | (ए) | (बी) | (सी) | (डी)